PIONEER, Online, 13.9.2022
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

# NHRC displeased with report by Nuapada DM

https://www.dailypioneer.com/2022/state-editions/nhrc-displeased-with-report-by-nuapada-dm.html

The National Human Rights Commission (NHRC) hearing a case of alleged violation of child rights by the Forest Department in Odisha has expressed displeasure over a report of inquiry filed by the Collector, Nuapada, denying the allegations.

"The report was not filed with due diligence before the commission," the NHRC said.

Acting upon a complaint filed by Dilip Das, a human rights activist of Bhawanipatna, basing on a news report on child labour engagement in Talakot village of Nuapada district in a kendu leaves phadi for drying bidi leaves, the commission had issued notices to the Chief Secretary, Government of Odisha, Principal Secretary, Forest and Environment Department and District Magistrate, Nuapada, on June 14 calling for a report within a period of four weeks.

"Neither the District Magistrate nor the Government of Odisha appreciated the fact that the news article clearly manifests that those children, who have been shown in the photograph, are not playing but rather working in the field. In spite of a clear picture of the children, the administration is trying to cover their wrongs by filing incomplete and wrong reports before the commission" the notice stated.

The commission has said that it never appreciates such conduct and always takes a serious view. "The commission is not satisfied with the reports filed by the concerned authorities and the State and hereby rejected the aforesaid reports on the ground that the said enquiry was conducted in saving the wrongdoer and lawbreaker or delinquent officials involved or in connection with the child labour," said the NHRC.

The commission has asked the authorities to file a detailed report along with the requisite reports/documents after conducting a proper inquiry within six weeks.

# SSC CGL Eligibility Criteria 2022-23: Postwise Age Limit & Educational Qualification under Ministries/ Govt D

https://www.jagranjosh.com/articles/ssc-cgl-eligibility-criteria-2022-23-age-limit-post-wise-educational-qualification-1662967805-1

SSC will hold the Combined Graduate Level (CGL) Examination 2022-23 for filling up various Group “B” and Group “C” posts in different Ministries/ Departments/ Organizations of Govt. of India. Eligible candidates can apply for various SSC CGL posts under the four Age Group Categories.

Before applying for the different SSC CGL 2022-23 Posts, candidates should satisfy themselves that they fulfill all the eligibility norms including age, upper age limit and educational qualification(s). So, let’s look at the Eligibility Criteria for the various posts under the SSC CGL 2022-23 Recruitment Process:

Research Assistant in National Human Rights Commission (NHRC)

18-30 years

Group “B”/

OA, OL, B, BL, OAL, LV & HH

Research Assistant in National Human Rights Commission (NHRC)

Essential Qualifications: Bachelor’s Degree from a recognized University or Institute.

Desirable Qualifications: Minimum one-year research experience in any recognized university or recognized Research Institution; Degree in Law or Human Rights from a recognized university

SENTINEL ASSAM, Online, 13.9.2022
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

# Trafficked Arunachali Minors Rescued from Guwahati Hotel

https://www.sentinelassam.com/north-east-india-news/assam-news/trafficked-arunachali-minors-rescued-from-guwahati-hotel-612473

Four minor girls who went missing from the Manabhum area in Diyun circle of Changlang district, were rescued from a human trafficking racket in Assam's capital city Guwahati on Sunday. A joint team comprising Arunachal and Assam Police personnel managed to raid Ornate Naga Guest House in the Rukminigaon area in Guwahati after receiving an intel and was successful in rescuing the girls, Changlang Superintendent of Police Mihin Gambo said in a statement

A kidnapping case was registered at Diyun Police Station in Arunachal Pradesh after receiving an FIR regarding the missing children on September 8. The Arunachal Police jumped into action and started an investigation into the matter immediately. Diyun Police Station Officer in Charge N Rango launched an operation and it was found that a woman named Nivedita Chanda was associated with the kidnapping.

During phone tracing, it was found that Chanda's last active location was Guwahati. With the help of human intelligence which was deployed in the operation, it was found that the exact location where the girls were held captive was Ornate Naga Guest House in Guwahati.

Thereafter, Changlang Superintendent of Police Gambo coordinated with Assam Police Deputy Inspector general of Police (DIGP) Prasanta Changmai and Dispur (Assam) Deputy Commissioner of Police (DCP) Sudhakar Singh and shared with them the exact location and detailed information about the missing girls and the suspected woman. Accordingly, a convoy of Assam and Arunachal Police rushed to the hotel and rescued the minor girls, and also detained the accused Nivedita Chanda.

"Swift action of Changlang district police in coordination with Assam Police under supervision of Police Headquarters (PHQ) Itanagar led to the successful rescue of the minor girls from human trafficking racket," SP Gambo said in a release. "The rescued children have been handed over to their guardians through the Child Welfare Committee, after completing legal formalities and necessary counseling," Gambo added.

According to a report by the National Human Rights Commission of India, 40,000 children are abducted each year, leaving 11,000 untraced. The NGOs estimate that between 12,000 and 50,000 women and children are trafficked into the country annually from neighboring nations as a part of the sex trade.

# High Court : फर्जी केस में फंसाने के मामले में दोषी 35 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश

https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/allahabad/high-court-cbi-inquiry-ordered-against-35-policemen-guilty-of-being-implicated-in-a-fake-case

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईवे थाना मथुरा में 35 पुलिसकर्मियों और फिरोजाबाद के रसूलपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने नौ नवंबर को सीबीआई को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के निर्देश पर विशेष जांच टीम ने 35 पुलिस कर्मचारियों को याची सहित मां व भाई के खिलाफ  फर्जी केस दर्ज कर फंसाने का दोषी ठहराया है। इसके बावजूद पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे पुलिस ने शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के हर हथकंडे अपनाए। अपहरण के फर्जी केस में कुर्की कार्रवाई की।

कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह लखनऊ को फिरोजाबाद के रसूलपुर थाने में दर्ज अपहरण केस सहित अन्य मामले सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। फिरोजाबाद रसूलपुर केस की विवेचना कर रहे आगरा के विवेचना अधिकारी व एसएसपी आगरा को विवेचना रोक कर रिकॉर्ड तत्काल सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई नौ नवंबर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने सुमित कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में याची, उसकी मां व भाई के खिलाफ  दर्ज अपहरण केस रद्द करने तथा इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है।
याची का कहना है कि प्रेम सिंह ने याची के भाई पर जानलेवा हमला किया। याची की मां पुलिस थाने में शिकायत लेकर गइ लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। उल्टे याची का चालान कर दिया गया। मां माया देवी ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के निर्देश पर हाईवे थाना मथुरा में प्राथमिकी दर्ज की गई। इससे नाराज पुलिस ने याची की मां के खिलाफ  केस दर्ज कर लिया। इसकी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को की गई।

आयोग के आदेश पर एसएचओ हाईवे सुरेंद्र सिंह यादव व दरोगा नेत्रपाल सिंह के खिलाफ 10अगस्त 2016 को धारा 166 ए में केस दर्ज हुआ। इसके बाद एसओजी ने 12 जनवरी 18 को

उसके भाई पुनीत कुमार व याची व ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शिकायत अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से की गई। आयोग के निर्देश पर लखनऊ मुख्यालय के एएसपी की विशेष जांच बिठाई गई। रिपोर्ट में 35 पुलिस कर्मचारियों को झूठे केस दर्ज कर झूठे साक्ष्य गढ़ने का दोषी करार दिया।

जब पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो याची ने शिकायत की। इसके बाद फिरोजाबाद में अपहरण का केस दर्ज कराया गया। शिकायत वापस लेने का पुलिस ने दबाव बनाया। फिर शिकायत पर आईजी आगरा रेंज ने केस आगरा स्थानांतरित कर दिया। आगरा पुलिस ने याची के खिलाफ  कुर्की की कार्रवाई की। इस पर यह याचिका दायर की गई है।

# अवैध व्यापार अरुणाचली नाबालिगों को गुवाहाटी के होटल से छुड़ाया गया

https://jantaserishta.com/local/assam/trafficking-arunachali-minors-rescued-from-guwahati-hotel-1559764

असम की राजधानी गुवाहाटी में चांगलांग जिले के दीयुन सर्कल के मनाभूम इलाके से लापता हुई चार नाबालिग लड़कियों को मानव तस्करी रैकेट से रविवार को छुड़ा लिया गया. चांगलांग के पुलिस अधीक्षक मिहिन गैम्बो ने एक बयान में कहा कि अरुणाचल और असम पुलिस कर्मियों की एक संयुक्त टीम ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद गुवाहाटी के रुक्मिणीगांव इलाके में अलंकृत नागा गेस्ट हाउस पर छापा मारा और लड़कियों को बचाने में सफल रही। 8 सितंबर को लापता बच्चों के संबंध में प्राथमिकी प्राप्त होने के बाद अरुणाचल प्रदेश के दीयुन पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। अरुणाचल पुलिस हरकत में आई और मामले की तुरंत जांच शुरू कर दी। दीयुन थाना प्रभारी एन रंगो ने एक अभियान शुरू किया और पता चला कि निवेदिता चंदा नाम की एक महिला अपहरण से जुड़ी थी। फोन ट्रेसिंग के दौरान पता चला कि चंदा की आखिरी एक्टिव लोकेशन गुवाहाटी थी। ऑपरेशन में तैनात ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से पता चला कि जिस जगह लड़कियों को बंदी बनाया गया था, वह गुवाहाटी में अलंकृत नागा गेस्ट हाउस थी। इसके बाद, चांगलांग के पुलिस अधीक्षक गैम्बो ने असम पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजीपी) प्रशांत चांगमई और दिसपुर (असम) के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सुधाकर सिंह के साथ समन्वय किया और उनके साथ लापता लड़कियों के बारे में सटीक स्थान और विस्तृत जानकारी साझा की और संदिग्ध महिला। तदनुसार, असम और अरुणाचल पुलिस का एक काफिला होटल पहुंचा और नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया, और आरोपी निवेदिता चंदा को भी हिरासत में लिया। एसपी गैम्बो ने एक विज्ञप्ति में कहा, "पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) ईटानगर की देखरेख में असम पुलिस के समन्वय में चांगलांग जिला पुलिस की त्वरित कार्रवाई से नाबालिग लड़कियों को मानव तस्करी रैकेट से सफलतापूर्वक बचाया गया।" गैम्बो ने कहा, बाल कल्याण समिति के माध्यम से बचाए गए बच्चों को कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने और आवश्यक परामर्श के बाद उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, हर साल 40,000 बच्चों का अपहरण किया जाता है, जिसमें से 11,000 का पता नहीं चलता है। गैर सरकारी संगठनों का अनुमान है कि देह व्यापार के एक हिस्से के रूप में पड़ोसी देशों से सालाना 12,000 से 50,000 महिलाओं और बच्चों की तस्करी की जाती है।

# Chaibasa : चाईबासा जेल में कैदी की मौत के मामले में मानवाधिकार ...

https://newswing.com/human-rights-commission-takes-cognizance-of-death-of-prisoner-in-chaibasa-jail-ultimatum-of-eight-weeks/424037/

चाईबासा जेल में 30 वर्षीय मुरली लागुरी की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. इसे लेकर आयोग के सहायक रजिस्ट्रार कानून के देवेंद्र कुंद्रा ने पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त, चाईबासा के पुलिस अधीक्षक और जेल अधीक्षक को मेल प्रेषित किया है. उसमें 8 सप्ताह का समय देते हुए आयोग के दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है. बता दें कि मुरली लागुरी जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में वर्ष 2020 से जेल में बंद था. बीते 9 सितंबर को चाईबासा जेल में उसकी मौत का मामला सामने आया था. उस दौरान जेल की छत से कूदकर उसकी आत्महत्या करने की बात सामने आई थी. सबसे बड़ा सवाल यह था कि मुरली छत पर कैसे पहुंचा. उसने छत से कूदकर आत्महत्या की या फिर किसी अन्य कारण से उसकी मौत हुई. इन सारी बातों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. इस बीच न्यू चक्रधरपुर के बैरम खान की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले में संज्ञान ले लिया है. आगे मामले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है.